



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235439
CG-DL-E-29042022-235439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1926]
No. 1926]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)
(कोफेपोसा स्कंध)
आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

का.आ. 2026(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत जारी आदेश सं.पीडी-12001/02/2022- कोफेपोसा दिनांक 01.02.2022 में यह निदेश दिया गया था कि जोंगेउन जिऑंग, निवासी 10/ए, ए-8, बोगा फार्म, असोला एसएसएन मार्ग, मेन छतरपुर रोड, नई दिल्ली-110074 को हिरासत में लिया जाए और तिहाड़ केन्द्रीय जेल, नई दिल्ली में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छिपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12001/02/2022 – कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)****(COFEPOSA WING)****ORDER**

New Delhi, the 29th April, 2022

S.O. 2026(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/02/2022-COFEPOSA dated 01.02.2022 under the said sub-section directing that Jongeun Jeong, R/o 10/A, A-8, Boga Farm, Asola SSN Marg, Main Chhatarpur Road, New Delhi-110074 be detained and kept in Tihar Central Jail, New Delhi with a view to prevent him from smuggling of goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/02/2022-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.